न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 600 सन 2022

अनवान :–

1. दयाराम पुत्र रूपनाम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार पुत्र रूपनाम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. गुरूदत पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
2. बिरजलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 195/191 की कुल 16.4270हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 383/376 की कुल 10. 1300हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज थी जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था बाहमी बटवारा में वादीगण को खसरा संख्या 338/3 की 4.6790हैक्ट प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को दी गई थी तथा खसरा संख्या 338/2 की 4.7300हैक्ट भूमि वादीगण को दी गई थी इसी अनुसार भूमि काश्त करते थे किन्तु सहवन से खाता विभाजन में खसरा नम्बर गलत तौर से अंकन होने के कारण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो गई जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज को वादीगण के नाम एव वादीगण के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज करवाना के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के कब्जा काश्त एव हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम खसरा न0 338/2 की 4.7300हैक्ट भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज थी जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था बाहमी बटवारा में वादीगण को खसरा संख्या 338/3 की 4.6790हैक्ट प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को

पीठासीन अधिकारी
नोहर

दी गई थी तथा खसरा संख्या 338/2 की 4.7300हैक भूमि वादीगण को दी गई थी इसी अनुसार भूमि काश्त करते थे किन्तु सहवन से खाता विभाजन में खसरा नम्बर गलत तौर से अंकन होने के कारण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो गई जिसे संशोधन करवाकर वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 195/191 की कुल 16.4270हैक भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 383/376 की कुल 10.1300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज थी जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था बाहमी बटवारा में वादीगण को खसरा संख्या 338/3 की 4.6790हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को दी गई थी तथा खसरा संख्या 338/2 की 4.7300हैक भूमि वादीगण को दी गई थी इसी अनुसार भूमि काश्त करते थे किन्तु सहवन से खाता विभाजन में खसरा नम्बर गलत तौर से अंकन होने के कारण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो गई जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज को वादीगण के नाम एव वादीगण के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज करवाना के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 195/191 की कुल 16.4270हैक भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 383/376 की कुल 10.1300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज थी जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था बाहमी बटवारा में वादीगण को खसरा संख्या 338/3 की 4.6790हैक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को दी गई थी तथा खसरा संख्या 338/2 की 4.7300हैक भूमि वादीगण को दी गई थी इसी अनुसार भूमि काश्त करते थे किन्तु सहवन से खाता विभाजन में खसरा नम्बर गलत तौर से अंकन होने के कारण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम

खण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त की भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो गई जिसे संशोधन करवाने के अधिकारी है वादीगण के कथनो को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की खसरा संख्या 338/3 की 4.6790हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम एवं खसरा संख्या 338/2 की 4.7300हैक भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 383/376 के खसरा संख्या 338/2 की 4.7300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तथा खाता संख्या 95/191 के खसरा सख्या 338/3 की 4.6790हैक भूमि वादीगण के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. दयाराम पुत्र रूपनाम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार पुत्र रूपनाम जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. गुरूदत पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर
2. बिरजलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. महावीर पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 600 सन 2022 निर्णय दिनांक– 26/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 383/376 के खसरा संख्या 338/2 की 4.7300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तथा खाता संख्या 95/191 के खसरा संख्या 338/3 की 4.6790हैक भूमि वादीगण के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner